बशीर बनाम बड़ी ~~[illegible]~~ मस्जिद वक्फ जी. मोहयुद्दीन प्र.नं. 57/12

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-5-25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील दोनों ने बहस हेतु समय चाहा। अपीलार्थी को अंतिम अवसर दिया जाता। वास्ते बहस दिनांक 3.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
3.6.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। रेस्पो. ने लिखित बहस पेश की। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
10.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ख़ारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(मुहर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 57/2012

1 बशीर मृत
1/1 सुगरा बेवा बशीर
1/1/1 सईदा पुत्रीयां स्व. बशीर
1/1/2 नजमा
1/1/3 अलहमदो
1/2 उस्मान गनी
1/3 खुर्शीद पुत्रगण स्व. बशीर
समस्त जाति मुलसमान निवासीगण जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 मकबुल पुत्र ईलाहीबक्श
3 बानो बेवाह अली मोहम्मद
4 शरीफ
5 बाबू
6 जीमल पुत्रगण यासीन
7 धापू बेवाह मकबूल
8 एमला बेवाह यासीन
9 भूरा पुत्र हुसैन मृत
9/1 जन्नत पत्नी भूरा उर्फ भूरे खां
9/2 सिकन्दर अली
9/3 मोहम्मद साजिद पुत्रगण भूरा उर्फ भूरे खां
निवासी मोहल्ला पठानात मोचीवाड़ा तहसील व जिला सीकर।
10 शरीफ पुत्र हुसैन
11 हस्मत पत्नी मुस्तफा मृत
11/1 रजिया पुत्री
11/2 सलीम पुत्र स्व मुस्तफा
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण तन जगमालपुरा रोड़ से पश्चिम में खेत ढाणी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 माफी बड़ी मस्जिद वाकै सीकर मोहियूदीन खां गौड़ मृत
1/1 अमान अली
1/2 असलम
1/3 शाहिद
1/4 आजम
1/5 अकबर पुत्रगण स्व. मोहियूदीन खां गौड़
1/6 खतीजा पत्नी स्व. मोहियूदीन खां गौड़
समस्त जाति गौड़ मुसलमान निवासीगण मोहल्ला रोशनगंज तहसील व जिला सीकर।
2 सिरज पुत्र अल्लादीन मृत
2/1 छोटी पत्नी सिराज
2/2 रफीक
2/3 मोहम्मद अली
2/4 मोहम्मद आरिफ
2/5 मोहम्मद अरसद पुत्रगण सिराज
3 अनवर
4 अली पुत्रगण अल्लादीन (नाम हजफ)
5 रसीद पुत्र मकबूल
6 मोहम्मद मजीद पुत्र अली मोहम्मद
7 रफीक पुत्र यासीन
8 मंजूर पुत्र यासीन
9 मुमताज
10 ईसाक
11 शब्बीर पुत्रगण हुसैन
12 शलीम पुत्र मुस्ताक
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण जगमालपुरा रोड़ पश्चिम में खेत में ढाणी तन जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा संख्या 303/11
उनवानी माफी मस्जिद बनाम सिराज आदि पीठासीन
अधिकारी जे.पी. त्यागी अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनुराग माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 303/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद खाता दुरूस्ती, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा बेदखली का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में भूमियां पुराने खसरा नम्बर 332 रकबा 16 बीघा खसरा नम्बर 341 रकबा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 08 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा थे जिनके नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330 रकबा 2.10 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर अवस्थित है को तत्कालीन राव राजा सवाईसिंह जयपुर द्वारा अपने शासन काल में ठिकाना सीकर में अवस्थिति बड़ी मस्जिद वाके सीकर के नाम ग्राम जगमालपुरा में 43 बीघा

अतिरिक्त प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 बिश्वा जमीन माफी दान वक्फ की गयी, उपरोक्त भूमियां सदैव से माफी बड़ी मस्जिद की खातेदारी में चली आ रही है वादी ने यह भी दर्ज किया कि उक्त भूमियां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण को पूर्वजों के समय से ही काश्त करने हेतु बांटे पर दी जाती रही है इसलिए उक्त भूमियां प्रतिवादीगण के कब्जे, काश्त में नही वादी ने यह भी अंकित किया कि तत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियों से साजिस कर उक्त भूमियों की खातेदारी कालम संख्या 4 पर अपने नाम दर्ज करवा ली, आगे वादी ने आरोप लगाये कि हरे पेड़ काट लिये, पेड़ों के लूंग पतरी काट ली गयी, मकान बना लिया तथा भविष्य में भूमि की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की भी इस्तदुआ की है वादी अब स्वयं विवादित भूमियों पर काश्त करना चाहता है इसलिए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस व अपीलान्ट को बेदखल करना चाहता है इसलिए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस व अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने तथा खातेदारी से नाम हटाये जाने हेतु वाद पेश किया, दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया तथा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.12.2011 को जवाबदावा पेश किया गया उसके बाद 13.12.2011 को प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया जिसका जवाब वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 23. 12.2011 को पेश किया गया, पत्रावली आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस हेतु नियत थी इस संबंध में प्रतिवादीगण/अपीलान्ट द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का सरक्यूलर भी आवेदन के साथ पेश किया था इस पत्रावली में आवेदन की बहस हेतु तारीख 30.01.2012 नियत थी परन्तु जैसा कि पूर्व उपखण्ड अधिकारी जे.पी. त्यागी ने कभी भी पत्रावली का निर्णय प्रकिया के तहत नहीं करने का आदी रहा है यहां भी बिना बहस सुने ही आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन का फैसला किये पूरे दावे का ही फैसला कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 जो दावे में प्रतिवादीगण थे उनमें से प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो गयी इसके कोई कायम मुकाम नहीं बनाये प्रतिवादी संख्या 7 गुमशुदा व्यक्ति है शेष रेस्पोडेन्टस संख्या 2

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लगायत 12 विदेश में है उनकी तामील नियमानुसार नहीं हुई है क्योंकि जिस अखबार में प्रकाशन किया है वह सीकर में भी सभी जगह पर प्रसारित नहीं होता इस प्रकार पत्रावली में तलबी पूर्ण किये बिना या उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही किये बिना दावे का निर्णय कर दिया जो गैर कानूनी है। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.01.2012 को पेशी रजिस्टर में तारीख 30.01.2012 अपीलान्टस प्रतिवादीगण को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन के बहस हेतु नियत कर दी गई जो पेशी रजिस्टर में दर्ज है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा राजनैतिक प्रभाव वाले वादी मोहियुदीन खां गौड़ से मिलकर पिछे की तारीख 30.01.2012 को पूरे दावे का ही फैसला कर दिया तथा कोई प्रकिया नहीं अपनाई गयी। इसलिए विचारण न्यायालय का फैसला निरस्त होने योग्य है। दावें में विचारण न्यायालय द्वारा न तो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन का फैसला किया न दावे मं तनकी कायम की गई न साक्ष्य ली गई तथा फैसला न करके केवल पत्रावली का निपटारा किया है जो प्राकृतिक न्याय का गला घोटा है इस प्रकार का आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, इसलिए विचारण न्यायालय का फैसला दिनांक 30.01.2012 निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः पूर्ण सुनवायी हेतु रिमाण्ड की जावें। अपीलान्ट सन् 1998 से यानि गत 65 सालों से इस जमीन को काश्त कर रहे है तथा विवादित भूमि में करीब 15 ढाणियों में रह रहे है, कूप बनाकर विद्युत से सिंचाई की जा रही है भूमि शुरू से ही माफी बड़ी मस्जिद की खातेदारी में दर्ज है तथा काश्तकार के रूप में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12/प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है इससे पहले इनके पूर्वजों का नाम दर्ज था, विचारण न्यायालय को अपीलान्टस/प्रतिवादीगण का नाम हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें सुनवायी का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। इसलिए विचारण न्यायालय का फैसला व डिक्री दिनांक 30.01.2012 निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट ने विवादित भूमियों को वक्फ की सम्पति होने के संबंध में वक्फ बार्ड एक्ट की धारा 85 के संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का सरक्यूलर दिनांक 12.09.1997 भी पेश किया था जिसमें वक्फ सम्पत्ति के विवाद के संबंध में सुनवायी का क्षेत्राधिकार केवल वक्फ ट्रीब्यूनल को ही प्राप्त है तथा सिविल कोर्ट इस संबंध में सुनवायी हेतु सक्षम नहीं है वाद प्रस्तुत करने का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष या मस्जिद कमेटी को प्राप्त है जो केवल वक्फ ट्रीब्यूनल में ही प्रस्तुत हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सकता है इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा न केवल कानून की अवहेलना की है बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना न करके गैर कानूनी कार्यवाही की है इसलिए विचारण न्यायालय का फैसला व डिक्री दिनांक 30.01.2012 निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 341 रकबा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 8 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330 रकबा 2.10 हैक्टेयर कुल किता 09, कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर ग्राम जगमालपुरा, तहसील व जिला सीकर राज. की तन में अवस्थित चली आ रही है जिसका राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 01 माफी बड़ी मस्जिद सीकर के नाम से अंकित चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां हमेशा से माफी बड़ी मस्जिद के नाम से रही जिसे मस्जिद ने बाह जोत के लिये प्रतिवादीगण के पूर्वज को दी थी जिसका अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी ने खातेदारी के कॉलम नम्बर 04 में अपने नाम से इन्द्राज करवाकर चुपचाप में वादस्पद भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवा ली इसकी कोई जानकारी वादी बड़ी मस्जिद को नहीं होने दी वादी अवयस्क है और कानूनन माफी की संपतियां कृषि भूमियों पर अन्य किसी को बल पूर्वक कब्जा करने अथवा अवैध एवं अनुचित तरीके से हड़प करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व आवेदन पर विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का मामला निर्विवाद व कब्जे का मामला भी निर्विवाद होने के कारण तथा अवयस्क का मामला होने से अवयस्क को विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण विचारण न्यायालय ने वाद का दिनांक 30.01.2012 को निर्णय कर दावा डिक्री कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15, 16, 17, 18, 19 में जो कब्जे के आधार पर खातेदारियां दी जाती है ओर दी गयी है वह सार्वजनिक मंदिर व मस्जिद की भूमि पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी नहीं दी जा सकती है वर्तमान जमाबंदी का रिकार्ड देखा गया तो पाया कि भूमि आज भी बड़ी मस्जिद सीकर खातेदार मौलवी अलीबक्स पुत्र अली कॉम मुसलमान सीकर दर्ज है विवादित भूमि मस्जिद की खातेदार की है अतः मस्जिद की खातेदारी में ही रहेगी किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकती तथा कृषि भूमि का निर्णय राजस्व न्यायालय करेगा। विवादित भूमि मस्जिद की है मस्जिद शाररिक रूप से अक्षम एक न्यायिक व्यक्ति (**Jurstic Person**) है जो अपने खातेदारी की भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर सकता है अतः अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति एवं मस्जिद आदि धार्मिक पूजा स्थलों की भूमि पर अन्य व्यक्ति के मार्फत काश्त करने की छूट दी गयी है जागीर अधिनियम में भी खुदकाश्त भूमियों की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि अवयस्क व्यक्ति की भूमियों को खुदकाश्त की भूमि माना जाता है तथा अधिनियम के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमियों को पुर्नग्रहण से मुक्त रखा गया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2 के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि की निम्न परिभाषा दी गयी है:–

(K) Land cultivated personally with its grammatical variations and cognate expressions means land cultivated on on's own account-

1. By one's laour or

2. By the labour of any member of one's family or

3 By servants on wages payable in cash or in kind (but not by way a share in crops) or by hird labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family.

Provided that in the case of person who is a window or a minor or is subject to any physical or mental disability or is a member of the armed forces of the union or who being a student of and educational institution recognized by government is below the age of twenty five year's land shall be demed to be cultivated personally even in the abangence of such personal supervision.

राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवादित भूमि माफी की भूमि है तथा जागीर पुनग्रहण अधिनियम के उपरांत प्रावधानों के दृष्टिगत एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की भूमि को खुदकाश्त भूमि के रूप में ही माना जाता

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है मस्जिद एक अक्षम व्यक्ति है जो स्वयं की भूमि की काश्त नहीं कर सकता है जागीर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मस्जिद की ओर से करवायी गयी काश्त मस्जिद द्वारा ही की गयी मानी जायेगी तथा इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत ऐसी खुदकाश्त भूमियों पर खुदकाश्त करने वाले व्यक्तियों को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे तथा अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होगें। माननीय राजस्व न्यायालय की वृहदपीठ ने दुर्गालाल बनाम मंदिर श्री शनिचर जी महाराज (1984 आरआरडी–1) के प्रकरण में स्पष्ट यह मत प्रकट किया है कि किसी भी पूजा स्थलों की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं प्रदान किये जा सकते क्योंकि ऐसी भूमियों को अधिनियम की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियां माना जावेगा। अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ज्योति नगर, जयपुर द्वारा भूमि से बेदखली के आर्डर पारित हो चुके है जिसे अपीलार्थी ने अपील में छिपाया है उक्त आदेश के चलते प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 341 रकबा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 8 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 3 बीघा 9 बिश्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 312 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330 रकबा 2.10 हैक्टेयर कुल किता 09, कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर ग्राम जगमालपुरा, तहसील व जिला सीकर राज. की तन में अवस्थित चली आ रही है जिसका राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 01 माफी बड़ी मस्जिद सीकर के नाम से अंकित चला आ रहा है। वादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां हमेशा से माफी बड़ी मस्जिद के नाम से रही जिसे मस्जिद ने बाह जोत के लिये प्रतिवादीगण के पूर्वज को दी थी जिसका अनुचित फायदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उठाकर प्रतिवादी ने खातेदारी के कॉलम नम्बर 04 में अपने नाम से इन्द्राज करवाकर चुपचाप में वादस्पद भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवा ली इसकी कोई जानकारी वादी बड़ी मस्जिद को नहीं होने दी वादी अवयस्क है और कानूनन माफी की संपतियां कृषि भूमियों पर अन्य किसी को बल पूर्वक कब्जा करने अथवा अवैध एवं अनुचित तरीके से हड़प करने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व आवेदन पर विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का मामला निर्विवाद व कब्जे का मामला भी निर्विवाद होने के कारण तथा अवयस्क का मामला होने से अवयस्क को विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण विचारण न्यायालय ने वाद का दिनांक 30.01.2012 को निर्णय कर दावा डिकी कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15, 16, 17, 18, 19 में जो कब्जे के आधार पर खातेदारियां दी जाती है ओर दी गयी है वह सार्वजनिक मंदिर व मस्जिद की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है वर्तमान जमाबंदी का रिकार्ड देखा गया तो पाया कि भूमि आज भी बड़ी मस्जिद सीकर खातेदार मौलवी अलीबक्स पुत्र अली कॉम मुसलमान सीकर दर्ज है विवादित भूमि मस्जिद की खातेदारी की है अतः मस्जिद की खातेदारी में ही रहेगी किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकती तथा कृषि भूमि का निर्णय राजस्व न्यायालय करेगा। विवादित भूमि मस्जिद की है मस्जिद शारीरिक रूप से अक्षम एक न्यायिक व्यक्ति (**Jurstic Person**) है जो अपने खातेदारी की भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर सकता है अतः अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति एवं मस्जिद आदि धार्मिक पूजा स्थलों की भूमि पर अन्य व्यक्ति के मार्फत काश्त करने की छूट दी गयी है जागीर अधिनियम में भी खुदकाश्त भूमियों की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि अवयस्क व्यक्ति की भूमियों को खुदकाश्त की भूमि माना जाता है तथा अधिनियम के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमियों को पुर्नग्रहण से मुक्त रखा गया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2 के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि की निम्न परिभाषा दी गयी है:–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(K) Land cultivated personally with its grammatical variations and cognate expressions means land cultivated on on's own account-

1. By one's laour or

2. By the labour of any member of one's family or

3 By servants on wages payable in cash or in kind (but not by way a share in crops) or by hird labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family.

Provided that in the case of person who is a window or a minor or is subject to any physical or mental disability or is a member of the armed forces of the union or who being a student of and educational institution recognized by government is below the age of twenty five year's land shall be demed to be cultivated personally even in the abangence of such personal supervision.

राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवादित भूमि माफी की भूमि है तथा जागीर पुनग्रहण अधिनियम के उपरांत प्रावधानों के दृष्टिगत एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की भूमि को खुदकाश्त भूमि के रूप में ही माना जाता है मस्जिद एक अक्षम व्यक्ति है जो स्वयं की भूमि की काश्त नहीं कर सकता है जागीर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मस्जिद की ओर से करवायी गयी काश्त मस्जिद द्वारा ही की गयी मानी जायेगी तथा इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत ऐसी खुदकाश्त भूमियों पर खुदकाश्त करने वाले व्यक्तियों को ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे तथा अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होगें। माननीय राजस्व न्यायालय की वृहदपीठ ने दुर्गालाल बनाम मंदिर श्री शनिचर जी महाराज (1984 आरआरडी–1) के प्रकरण में स्पष्ट यह मत प्रकट किया है कि किसी भी पूजा स्थलों की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं प्रदान किये जा सकते क्योंकि ऐसी भूमियों को अधिनियम की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियां माना जावेगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर